न्यायालय–(शिव प्रकाश त्रिपाठी) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्तर स्थान जगदलपुर (छ0ग0)

//रिमाण्ड आदेश//

क्रमांक क्यू./मु0न्या0मजि0/2026 जगदलपुर दिनांक–03/01/2026

मैं **शिव प्रकाश त्रिपाठी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बस्तर, स्थान–जगदलपुर छ.ग.** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये एतद्द्वारा आदेश जारी करता हूं कि जिला बस्तर जगदलपुर छ.ग. में पदस्थ कंडिका 2 में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा कंडिका 03 में उल्लेखित **माह– जनवरी 2026** के सार्वजनिक अवकाश दिनांक को अपने स्टाफ सहित दोपहर 3:00 बजे से संध्या 5:00 बजे तक उपस्थित रहकर रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित करेंगें।

माह– जनवरी 2026

कं.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम	रिमाण्ड कार्य दिनांक
01	श्री राहुल शराफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर	दिनांक 26/01/2026
02	कुमारी नीति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर	दिनांक 25/01/2026
03	श्रीमती निहारिका तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर	दिनांक 04/01/2026, 10/01/2026 एवं दिनांक 11/01/2026
04	सुश्री टेसी पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर	दिनांक 17/01/2026 एवं दिनांक 18/01/2026

नोट :–

01. यदि किसी कारणवश कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अवकाश पर रहते हैं तो कार्य विभाजन पत्रक अनुसार या अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेगें।

02. उक्त घोषित अवकाश के अतिरिक्त अन्य तिथियों पर अवकाश घोषित होने पर **माह– जनवरी 2026** में श्रीमती अदिति ठाकुर शराफ, श्री राहुल शराफ, कुमारी नीति, श्रीमती निहारिका तिवारी एवं सुश्री टेसी पटेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बस्तर स्थान जगदलपुर (छ0ग0) द्वारा आपसी सहमति से रिमाण्ड कार्य संपादित किया जायेगा।

टीपः– रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के द्वारा उक्त दिवसों में मालखाने का संपत्ति नष्टीकरण तथा आवश्यक होने पर प्रोटोकॉल देखने का कार्य भी निष्पादन किया जायेगा।

दिनांक–03.01.2026

स्थान–जगदलपुर

(शिव प्रकाश त्रिपाठी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बस्तर स्थान जगदलपुर